रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 29, 1992 (फाल्गुन 10, 1913)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 29, 1992 (PHALGUNA 10, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	6199
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	235
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	379
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे भाग को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	209
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचना और नोटिस . .	221
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	443
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	37
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु की आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक . .	

*आंकड़े प्राप्त नहीं ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	6199
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	235
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	379
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . .	209
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	221
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	443
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	37
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर, 1991

संकल्प

सं० 13015/1/91-रा० भा० (ध)—राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी । संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति तथा प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण तथा हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में सिफारिशें करते हुए समिति ने अपने प्रतिवेदन का तीसरा खण्ड फरवरी, 1989 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे 13 अक्तूबर, 1989 को लोक सभा एवं 27 दिसम्बर, 1989 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गईं । चूंकि सिफारिशों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण तथा हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था से है, अतः इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी राय आमंत्रित की गई । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निर्देश हुआ है :

(क) कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण ।

(1) हिन्दी शिक्षण योजना तथा विभागीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।

समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना तथा अन्य विभागीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग हिन्दी शिक्षण योजना को सुदृढ़ करे और समिति की सिफारिश सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित करते हुए विभागीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(2) हिन्दी प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था

समिति ने सिफारिश की है कि हिन्दी का प्रशिक्षण लेने पर वर्तमान प्रोत्साहन व्यवस्था को कुछ समय और चालू रखा जाए तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाया जाए ।

यह सिफारिश सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई है । इसके कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे ।

(3) निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर एक-मुश्त राशि :

समिति ने सिफारिश की है कि निजी प्रयत्नों से, पत्राचार द्वारा तथा स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रशिक्षण पाकर हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को एक-मुश्त पुरस्कार की राशि दुगुनी कर दी जाए ।

सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है । वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह राशि जुलाई, 1989 से डेढ़ गुना की जा चुकी है । इसे दुगना करने के लिए वित्त मंत्रालय को पुनः प्रस्ताव भेजा जाए ।

(4) हिन्दी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों की समीक्षा और उनमें सुधार :

समिति ने सिफारिश की है कि हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाये और उनमें सुधार कर उन्हें कार्यालयीन काम की दृष्टि से अधिक व्यावहारिक बनाया जाये ।

समिति की यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली गयी है । हिन्दी शिक्षण योजना तथा इसके अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की समीक्षा के लिए राजभाषा विभाग

द्वारा एक पुनरीक्षण समिति के गठन के लिए समुचित कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है ।

(5) हिन्दी प्रशिक्षण के लिए समय-सीमा का निर्धारण ।

समिति ने सिफारिश की है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में हिन्दी प्रशिक्षण के लिए बचे हुए वर्तमान कर्मचारियों को वर्ष, 1990 के अंत तक तथा "ग" क्षेत्र में वर्ष 1993 के अन्त तक प्रशिक्षित कर दिया जाये ।

समिति द्वारा "क" एवं "ख" क्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है । अप्रशिक्षित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गयी है कि "क" एवं "ख" क्षेत्रों में वर्तमान कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण वर्ष 1997 के अन्त तक तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को वर्ष 2,000 के अंत तक पूरा कर लिया जाये । राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के लिए गठित की जा रही पुनरीक्षण समिति को भी यह मामला सौंपा जाये ताकि इस लक्ष्य को देखते हुए यह सुझाव दे कि वर्तमान हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्या सुधार/परिवर्तन किये जाने अपेक्षित है ।

(6) नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण ।

समिति ने सिफारिश की है कि नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से पहले हिन्दी प्रशिक्षण दिया जाये ।

समिति की यह सिफारिश भी सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गयी है । राजभाषा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई कर केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के दो और नये उप संस्थान वर्ष 1990-91 के दौरान मद्रास तथा हैदराबाद में खोले है । राजभाषा विभाग पूर्णकालिक गहन हिन्दी प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त उप संस्थान हर वर्ष खोले, साथ ही सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश दिया जाये कि वे अपने-अपने अधीनस्थ सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इस प्रकार का प्रबंध कर लें कि हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने से पहले हिन्दी का गहन प्रशिक्षण दिया जाये ।

(7) हिन्दी शिक्षण योजना के नये केन्द्र

समिति ने सिफारिश की है कि हिन्दी शिक्षण योजना के नये केन्द्र "ग" क्षेत्र में खोले जायें ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है ।

(8) हिन्दी शिक्षण योजना के नये केन्द्र खोलने के प्रतिमानों में ढील :

समिति ने सिफारिश की है कि दूरस्थ नगरों में केन्द्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रतिमानों में ढील दी जाये ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है । राजभाषा विभाग वर्तमान मानदण्ड में "ग" क्षेत्र में नये केन्द्र खोलने के लिए ढील देने के लिए व्यय विभाग को पुनः प्रस्ताव भेजे ।

(9) "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में कार्यरत हिन्दी प्राध्यापकों को प्रोत्साहन :

समिति ने सिफारिश की है कि "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में काम करने वाले हिन्दी प्राध्यापकों के लिए कुछ वित्तीय आकर्षण उपलब्ध कराये जायें और निर्धारित योग्यता अथवा आयु सीमा में ढील दी जाये ।

"ख" और "ग" क्षेत्रों के लिए प्राध्यापकों की योग्यता अथवा आयु सीमा मे ढील देना समान अवसर के सिद्धांत के अनुरूप नही है और इसमें संवैधानिक कठिनाइयां भी आ सकती है । तथापि समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि "ख" और "ग" क्षेत्रों में कुछ ऐसे दूरस्थ स्थानों के विषय में वित्तीय तथा अन्य आकर्षण देने के मामले पर राजभाषा विभाग विचार करे और इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करे।

(10) अंशकालिक प्राध्यापकों के लिए मानदेय की दरों में वृद्धि :

समिति ने सिफारिश की है कि हिन्दी शिक्षण योजना के अंशकालिक प्राध्यापको के लिए मानदेय की दरों में समय-समय पर वृद्धि की जाये ।

यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गयी है । तथापि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए राजभाषा विभाग इस विषय में वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् समुचित कार्यवाही करे ।

(11) प्राध्यापकों के नये पद सृजित करने के लिए प्रतिमानों मे ढील :

समिति ने यह सिफारिश की है कि हिन्दी प्राध्यापकों के नये पद सृजित करने के लिए निर्धारित प्रतिमानों में ढील देने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गयी है । परन्तु चूंकि इसमें वित्तीय संसाधनों का प्रश्न जुड़ा हुआ है, अतः राजभाषा विभाग इस विषय में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर व्यय विभाग से परामर्श करे ।

(12) अंशकालिक केन्द्रों का पूर्णकालिक केन्द्रों में परिवर्तन करना :

समिति ने सिफारिश की है कि सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण की वर्तमान अंशकालिक व्यवस्था को पूर्णकालिक व्यवस्था में बदल दिया जाये ।

सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण के लिए इस समय गहन पाठ्यक्रम, पूर्णकालिक केन्द्रों पर अंशकालिक प्रशिक्षण, अंशकालिक केन्द्रों पर अंशकालिक प्रशिक्षण तथा पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । यह व्यवस्था विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार ही की गयी है । अत: इन सभी व्यवस्थाओं को साथ-साथ चालू रखना अपरिहार्य है । तथापि केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पहले ही पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं । अत: समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली है कि व्यावहारिक रूप में जहां कहीं संभव हो, पूर्णकालिक केन्द्र खोले जाएं । साथ-साथ इन्हीं व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार अंशकालिक व्यवस्था भी अभी जारी रखी जाए ।

(13) प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों के लिए स्थानापन्न नियुक्ति की व्यवस्था ।

समिति ने सिफारिश की है कि गहन हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों के लिए स्थानापन्न नियुक्ति की व्यवस्था की जाए ।

यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग इस विषय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने के पश्चात् सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी करे ।

(14) अप्रशिक्षित कर्मचारियों का रोस्टर :

समिति ने सिफारिश की है कि हिन्दी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों के रोस्टर सभी कार्यालयों में नियमानुसार रखे जाएं :

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । इस विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं । तथापि राजभाषा विभाग समिति की सिफारिश सभी मंत्रालयों/विभागों आदि के नोटिस में लाए तथा कर्मचारियों के रोस्टर के विषय में वर्तमान निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए अनुरोध करे ।

(15) नवप्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए सुविधाएं :

समिति ने सिफारिश की है कि नवप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण के बाद हिन्दी में कार्य करने के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएं ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इसके अनुपालन के लिए निदेश जारी करे तथा उनसे अनुरोध करे कि इस विषय में प्रशिक्षित कर्मचारियों को पुस्तकें और संदर्भ-साहित्य उपलब्ध कराने के विषय में जारी किए गए निदेशों का पूर्णत: पालन किया जाए । साथ ही सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया जाए कि संदर्भ-साहित्य को हिन्दी में तैयार कराया जाए और इसका वितरण सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में सुनिश्चित किया जाए ।

(16) औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की अनिवार्यता ।

समिति ने सिफारिश की है कि औद्योगिक संस्थानों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जिन्हें लिखने पढ़ने का कार्य करना पड़ता है, हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है । इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे ।

(17) हिन्दी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान तथा प्रोत्साहन ।

समिति ने सिफारिश की है कि हिन्दी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को दिए जा रहे अनुदान की राशि उपयुक्त रूप से बढ़ाई जाए, यांत्रिक उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें विशेष अनुदान दिया जाए, उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को हिन्दी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों के अनुरूप रखने के लिए परामर्श तथा सहायता प्रदान की जाए, उन्हें पाठ्य-पुस्तकों, प्रकाशनों, भवन निर्माण आदि के लिए विशेष अनुदान दिया जाए तथा सरकार द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए जो इन स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यों तथा समस्याओं आदि का मूल्यांकन करके एक सुनियोजित समन्वित कार्यक्रम तैयार करे और इन्हें दिए जाने वाले अनुदान के लिए नए और उदार मानदण्ड निर्धारित करे । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर, केन्द्रीय कर्मचारियों को वे सभी प्रोत्साहन उपलब्ध होने चाहिए जो कि उनको हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्राप्त होते हैं ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । शिक्षा विभाग इस विषय में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करे तथा यह उच्च अधिकार प्राप्त समिति संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करे और अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करे ।

(18) हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम

समिति ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाए । इन पाठ्यक्रमों में सभी कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाए । पत्राचार पाठ्यक्रमों में शिक्षण सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम से तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं—जैसे अरबी, चीनी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि के माध्यम से भी दिया जाए ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । शिक्षा विभाग से अनुरोध किया जाए कि वह केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाए गए पत्राचार पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार विस्तार करे तथा निदेशालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए, लिए जाने वाले शुल्क को सरकारी कर्मचारियों के लिए माफ करे । केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भी वर्ष 1990-91 से अतिरिक्त

पत्राचार पाठ्यक्रम शुरु किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण अंग्रेजी-हिन्दी माध्यम से ही दिया जाना अपेक्षित है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे अन्य पत्राचार पाठ्यक्रमों को सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजीतर विदेशी भाषाओं के माध्यम से चलाने के विषय में समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ सिद्धान्ततः मान ली गई है कि शिक्षा विभाग इस संबंध में आवश्यकतानुसार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और इसका कार्यान्वयन करे। सभी कर्मचारियों को पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने सम्बन्धी सिफारिश भी इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि पत्राचार पाठ्यक्रम का लाभ वही कर्मचारी उठाए जो हिन्दी शिक्षण योजना तथा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते।

(19) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण।

समिति ने सिफारिश की है कि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान तथा इसके उप संस्थानों को सुदृढ़ किया जाए।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 1990-91 में प्रशिक्षण संस्थान के दो और उप संस्थान खोले जा चुके हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के अन्य भागों में भी अतिरिक्त उप संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान और उसके उप-संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में समुचित प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं।

(20) दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों में हिन्दी का प्रशिक्षण।

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में जहां दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वहां हिन्दी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। प्रशिक्षण संस्थानों में वर्तमान व्यवस्था के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति अविलंब दी जानी चाहिए।

समिति की यह सिफारिश सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि में अनुरोध करे कि वह अपने अधीनस्थ व अपने उपक्रमों के अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसी व्यवस्था कराये।

(21) हिन्दी प्रशिक्षण के लिए विभागीय प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार।

समिति ने सिफारिश की है कि जिन मंत्रालयों/विभागों में अभी हिन्दी प्रशिक्षण के लिए विभागीय व्यवस्था नहीं है, वे भी आवश्यकतानुसार विभागीय व्यवस्था करें।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालय/विभागों आदि को निर्देश दे कि वह अपने अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि में हिन्दी प्रशिक्षण के लिए विभागीय व्यवस्था के विषय में विचार करे तथा आवश्यकतानुसार विभागीय व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि हिन्दी शिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके।

(22) आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा हिन्दी पाठ्यक्रमों का प्रसारण।

समिति ने सिफारिश की है कि आकाशवाणी द्वारा हिन्दी भाषा पाठों के प्रसारण की अवधि तथा आवृत्ति में वृद्धि की जाए तथा दूरदर्शन से भी हिन्दी पाठ प्रसारित किए जायें।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सिफारिश के अनुरूप स्थिति की समीक्षा करें तथा सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए समुचित कदम उठाएं।

(ख) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन।

समिति ने सिफारिश की है कि सभी कार्यालयों द्वारा हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए कार्यशालाएं इस ढंग से आयोजित की जाएं, जिससे कि उन सभी कर्मचारियों को, जिन्हें हिन्दी का ज्ञान है और जो अभी तक ऐसी कार्यशालाओं में नहीं भेजे गए हैं, वे इसमें भाग ले सकें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अगले 5 वर्षों तक ऐसी कार्यशालाओं का नियम-पूर्वक आयोजन किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य यह हो कि प्रत्येक हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार इसमें आकर हिन्दी में मूल रूप से काम करने का अभ्यास करने का अवसर मिल सके।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। राजभाषा विभाग इस विषय में अपने निर्देशों की पुनरावृत्ति करते हुए अगले 5 वर्षों तक कार्यशालाओं के आयोजन के विषय में पुनः विस्तृत निर्देश सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों आदि को परिचालित करे।

(ग) देश के सभी भागों में शिक्षा संस्थानों में हिन्दी पढ़ाने की सुविधाएं।

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में हिन्दी की पढ़ाई के विषय में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए सुनिश्चित करे कि देश भर में सभी जगह विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हिन्दी में भी करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध हो तथा हिन्दी अथवा हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन करने के लिए कोई बाधा नहीं हो।

क्योंकि शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

समिति की यह सिफारिश केवल सिद्धांत रूप में मान ली गई है। शिक्षा विभाग इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आवश्यक कदम उठाए। साथ ही शिक्षा विभाग सभी राज्य सरकारों आदि को समिति की इस सिफारिश से अवगत कराते हुए, इसके कार्यान्वयन के लिए उपाय करने के लिए भी अनुरोध करे।

(घ) त्रिभाषा-सूत्र का कार्यान्वयन।

समिति ने सिफारिश की है कि त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं तथा इस कार्य के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए और उसके अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाएं।

चूंकि त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों पर है, अतः समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार की गई है। शिक्षा विभाग इस विषय में पूरे सोच विचार के साथ तथा जहां आवश्यक हो, राज्य सरकारों के परामर्श के साथ एक निश्चित कार्यक्रम बनाये और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग अपने नियंत्रणाधीन केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए।

(च) भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिन्दी का विकल्प।

समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती सम्बन्धी विज्ञापनों, विवरणा-पत्रों तथा साक्षात्कारों के लिए उम्मीदवारों को भेजे जाने वाले निमंत्रण

पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं मे हो और उनमें न केवल यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाए कि उम्मीदवार साक्षात्कार में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है, बल्कि उसे लिखित रूप में यह सूचना देने के लिए भी कहा जाए कि वह किस भाषा का माध्यम अपनाना चाहता है, ताकि चयन बोर्ड द्वारा उसका साक्षात्कार, उसी भाषा में लिया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि साक्षात्कार लेने वाले चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि उसके सदस्यो को हिन्दी का भी ज्ञान हो ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि भर्ती के लिए साक्षात्कार में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का विकल्प भी उपलब्ध हो तथा इस विषय में साक्षात्कार पत्र में स्पष्ट रूप से उम्मीदवार को साक्षात्कार की भाषा के बारे में विकल्प सूचित करने लिए कहा जाए । चयन बोर्ड के गठन सम्बन्धी सिफारिश भी सिद्धांत रूप में इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि हिन्दी में साक्षात्कार देने वाले अभ्यार्थी से हिन्दी में ही बातचीत की जा सके ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस विषय में सभी मंत्रालयों/विभागों को समुचित निदेश जारी करे ।

(छ) कृषि, इंजीनियरिंग तथा आयुर्विज्ञान की भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प ।

समिति ने सिफारिश की है कि कृषि, इंजीनियरिंग तथा आयुर्विज्ञान के सभी प्रशिक्षण संस्थानो में, जो किसी न किसी रूप मे भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हैं भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त हिन्दी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वहां जो भी विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से पढ़ना चाहे, उसे हिन्दी माध्यम से शिक्षण/प्रशिक्षण दिया जा सके । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी निकट भविष्य में हिन्दी माध्यम से पूरी कराने के लिए अभी से प्रयत्न किया जाए और इसके लिए पाठ्य-सामग्री और संदर्भ साहित्य का भी हिन्दी में निर्माण कराया जाए ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि ऐसे संस्थानों में, जो किसी न किसी रूप में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त हिन्दी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाए । शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस विषय में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि हिन्दी भाषा का विकल्प प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त दिया जा सके । इंजीनियरिंग तथा कृषि की शिक्षा में हिन्दी माध्यम के विकल्प के विषय में समिति की सिफारिश सिद्धांत रूप मे मान ली गई है तथापि इस विषय में विभिन्न संस्थानों को छूट दी जाए कि वे हिन्दी माध्यम का विकल्प देने के लिए परिस्थितियों को देखते हुए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं । शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपने नियंत्रणाधीन संस्थानों को इस बारे में समुचित निर्देश दें तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित कराएं ।

समिति की यह सिफारिश भी सिद्धात रूप में मान ली गई है कि आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी निकट भविष्य में हिन्दी-माध्यम से प्रारंभ करने के लिए अभी से गंभीर प्रयास किए जाएं तथा पाठ्य-सामग्री और संदर्भ साहित्य का निर्माण कराया जाए । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस विषय में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें और इसके लिए एक समयबद्ध योजना बना कर उसके अनुसार कार्रवाई करें ।

(ज) राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भर्ती नियमों की समीक्षा ।

समिति ने सिफारिश की है कि संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के परिप्रेक्ष्य में सभी पदों के भर्ती नियमों की इस दृष्टि से समीक्षा की जाए कि भर्ती के समय अंग्रेजी का अथवा हिन्दी का अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान निर्धारित करना आवश्यक है या नही, जहां किसी पद विशेष के लिए किसी विशेष भाषा का ज्ञान अनिवार्य करना आवश्यक न हो, वहां हिन्दी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान का विकल्प प्रत्याशी के लिए उपलब्ध होना चाहिए और भर्ती के समय हिन्दी का ज्ञान न होने पर उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान अर्जित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वह उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में भर्ती नियमों की एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षा करे । भर्ती के समय हिन्दी का निर्धारित ज्ञान न होने की स्थिति मे परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी में निर्धारित स्तर का यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रावधान करने के निमित्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया जाए ।

(झ) प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण ।

(1) सभी प्रकार का प्रशिक्षण हिन्दी माध्यम से सम्पन्न हो ।

समिति ने सिफारिश की है कि सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, हिन्दी माध्यम से ही सम्पन्न होना चाहिए ताकि हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारियो के लिए हिन्दी में ही मूल कार्य करना सुविधाजनक हो । कम से कम "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण सस्थानों में यह व्यवस्था तुरन्त लागू की जानी चाहिए । यदि इन प्रशिक्षण सस्थानो मे आने वाले कुछ कर्मचारियों को हिन्दी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान न हो तो उन्हें वहां प्रशिक्षण के लिए हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भेजा जाए ।

"क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों में दिनांक 11-11-1987 के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में एक निर्धारित समय सीमा में इसके कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी किए जाएं ।

(2) नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान न होने पर सेवा के शुरू में ही हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो ।

समिति ने सिफारिश की है कि यदि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान न हो और उन्हें सेवा के शुरू में ही प्रशिक्षण लेना हो तो उनके लिए पहले हिन्दी के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है । सभी मंत्रालयो/विभागों को इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जाएं ।

(3) दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी के गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना ।

समिति ने सिफारिश की है कि जहां दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम चलाए जाते हैं वहां सम्बंधित प्रशिक्षण संस्थानो में ही हिन्दी

का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि हिन्दी न जानने वाले नए कर्मचारीगण हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकें ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इस का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निदेश जारी किए जाएं ।

(4) 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देना ।

समिति ने सिफारिश की है कि जहां-जहां भी संभव हो वहां और विशेषकर 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति और इस सम्बन्ध में जारी किए गए नियमों, आदेशों आदि की जानकारी भी करा दी जानी चाहिए ।

सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएं ।

(5) प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्य-सामग्री का अनुवाद ।

समिति ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यसामग्री का अनुवाद शीघ्र कर लिया जाना चाहिए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 11-11-1987 के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं ।

(6) विभिन्न विभागों के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित तकनीकी विषयों पर पुस्तकें लिखने पर देय प्रोत्साहन योजना को उदार और आकर्षक बनाना ।

समिति ने सिफारिश की है कि अनेक मंत्रालयों/विभागों के कार्य-क्षेत्र से सम्बन्धित तकनीकी विषयो पर मूलरूप से पुस्तकें लिखने अथवा अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए चालू की गई प्रोत्साहन योजनाओं को अधिक उदार और आकर्षक बनाया जाना चाहिए और जिन मंत्रालयों/विभागो ने ऐसी योजनाएं शुरू नहीं की हैं उन्हें भी इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए ।

यह सिफारिश सिद्धान्त रूप में मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए जाएं ।

(7) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को अपने विषय से सम्बन्धित पुस्तकें हिन्दी में लिखने पर विशेष प्रोत्साहन ।

समिति ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने विषय से सम्बन्धित पुस्तकें हिन्दी मे भी लिखने लगें अथवा अनुवाद करने का प्रयत्न करके अपेक्षित पाठ्यसामग्री तथा संदर्भ-साहित्य का निर्माण कर सकें ।

यह सिफारिश सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई है । सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जाये ।

(8) केन्द्र सरकार और विश्व-विद्यालयों के सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाये ताकि वे कुछ चुने हुए विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में पुस्तकें लिखा सकें ।

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार और विश्व-विद्यालयो के सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों के दीर्घ अनुभव और योग्यता का लाभ उठाते हुए उन्हें भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे भी कुछ चुने हुए विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में पुस्तकें लिख सकें ।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है । सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग निदेश जारी करें ।

(9) विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिन्दी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जाए ।

समिति ने सिफारिश की है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिन्दी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि विदेशी भाषाओं के मैनुअल आदि का सीधे हिन्दी में ही अनुवाद किया जा सके ।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय स्थिति का मूल्यांकन करे और विदेशी भाषा विद्यालय को उपर्युक्त व्यवस्था करने के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध कराये ।

(10) प्रशिक्षण संस्थानों मे कार्यरत प्रशिक्षकों को हिन्दी सिखाना ।

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत जिन प्रशिक्षकों को हिन्दी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान नही है उन्हें हिन्दी सिखाने का प्रबंध किया जाना चाहिए । प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबंध राजभाषा द्वारा किया जा सकता है ।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है । राज भाषा विभाग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये और इनकी सूचना प्रत्येक मंत्रालय/विभाग तथा उनके अधीन प्रशिक्षण संस्थानों को दे ताकि सभी प्रशिक्षकों को हिन्दी के अपेक्षित स्तर का ज्ञान कराया जा सके ।

(11) "क" तथा "ख" क्षेत्र में कार्यरत हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिए "ग" क्षेत्र में भेजा जाए ।

समिति ने सिफारिश की है कि "क" तथा "ख" क्षेत्र में कार्यरत हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिए यदि "ग" क्षेत्र में भी प्रशिक्षण हिन्दी माध्यम से देने के लिए भेजा जाए तो "ग" क्षेत्र में भी प्रशिक्षण केन्द्रो में हिन्दी माध्यम का उपयोग करना सुविधाजनक हो जाएगा । ऐसे प्रशिक्षकों को "ग" क्षेत्र में कार्य करने की अवधि के दौरान विशेष एवं आकर्षक वेतन दिया जाना चाहिए ।

सिफारिश सिद्धांतत रूप में स्वीकार कर ली गई है । "क" तथा "ख" क्षेत्र में कार्यरत प्रशिक्षकों को "ग" क्षेत्र मे कार्य करने के लिए आकर्षित करने हेतु विशेष वेतन आदि देने के संबंध में राजभाषा विभाग वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने के पश्चात् समुचित कार्रवाई करें ।

(ट) राजभाषा विभाग का सुदृढ़ीकरण ।

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग को सशक्त और साधन-सम्पन्न बनाया जाए, ताकि वह न केवल समिति के प्रतिवेदनों पर समुचित तथा शीघ्र कार्रवाई कर सके, बल्कि राजभाषा नीति के सुचारु अनुपालन को भी सुनिश्चित कर सके ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांतत रूप में स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग, देश में व्याप्त कठिन आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस विषय में अपने प्रस्ताव पुन: निर्धारित करे और व्यय विभाग के परामर्श के साथ उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करे ।

2. समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं। उन पर निर्णय बाद में सूचित किया जाएगा ।

1 समिति के प्रतिवेदन के पैरा 18.10 में सभी भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के विकल्प का प्रस्ताव ।

2 समिति के प्रतिवेदन के पैरा 18.12 में भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त करने के बारे में सिफारिश ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मन्त्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दिनांक 28 जनवरी 1992

संकल्प

सं० 12019/10/91-रा० भा० (भा०)—राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी । इस समिति की तीन उप समितियों द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों आदि के निरीक्षण तथा गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा के पश्चात् अपने प्रतिवेदन के चौथे खण्ड में हिन्दी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और इन निरीक्षणों और अद्यतन सूचनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों को समुचित रूप से लागू करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करते हुए अपने प्रतिवेदन का चौथा खण्ड नवम्बर, 1989 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-4(3) के अनुसार इसे अगस्त, 1990 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया । इसकी प्रतियां राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गयीं । चूंकि सिफारिशों का सम्बन्ध मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों और संस्थानों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के संदर्भ में है, अत: इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी राय आमंत्रित की गयी । राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद, समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, प्रधानहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निर्देश हुआ है :—

(1) निरीक्षण तथा मानीटरिंग :

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा नीति के कारगर रूप से कार्यान्वयन हेतु निरीक्षण तथा मानीटरिंग व्यवस्था मजबूत करना आवश्यक है । इसके लिए अनुवाद कार्य और निरीक्षण तथा मानीटरिंग के लिए अलग-अलग स्टाफ की व्यवस्था की जाये ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करें कि वे अपने कार्य के स्वरूप और आवश्यकता को देखते हुए मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समुचित निरीक्षण तथा मानीटरिंग व्यवस्था स्थापित करें और इसके लिए आवश्यकतानुसार पदों का भी सृजन करें ।

(2) राजभाषा नीति सम्बन्धी जानकारी और मनोवृत्ति :

(क) हिन्दी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन ।

समिति की यह सिफारिश कि अधिकारियों/कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलने हेतु और उन्हें राजभाषा नीति की व्यापक जानकारी कराने हेतु समय-समय पर गोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जायें, मान ली गई है ।

राजभाषा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में यद्यपि लक्ष्य निर्धारित किया जाता है किन्तु उसका पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं हो पाता । अत: राजभाषा विभाग पुन: सभी मंत्रालयों/विभागों से समिति की सिफारिशों के अनुसार नियमित रूप से कार्यशालायें, गोष्ठियां, सम्मेलन आदि का आयोजन करने को कहे और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करें ।

(ख) हिन्दी कार्यशालायें आयोजित करना ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उनके प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में इस संदर्भ में की गयी सिफारिशों के अनुरूप अगले पांच वर्षों के दौरान, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की झिझक दूर करने के लिए नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए और ऐसी कार्यशालाओं में हिन्दी जानने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम से कम एक बार इसमें भाग लेकर हिन्दी में मूल रूप से काम करने के अभ्यास का अवसर मिले ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है । राजभाषा विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करें कि वे नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करें जिससे कि अधिकारियों, कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक दूर हो सके ।

(ग) अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करे ।

समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गयी है कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में वर्तमान में लगाये गये प्रतिबंध हटाने के बाद ही ऐसे सम्मेलन आयोजित किये जाये । इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग यथा समय निर्देश जारी करे ।

(3) गोपनीय रिपोर्टों में राजभाषा के सम्बन्ध में प्रविष्टियां

समिति ने सिफारिश की है कि अधिकारियों, कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में उनके राजभाषा हिन्दी के ज्ञान का स्तर, उनमें हिन्दी में कार्य करने की क्षमता और अभिरुचि का उल्लेख किया जाये।

समिति की यह सिफारिश सिद्धान्त रूप में मान ली जाए। इसे लागू करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें संघ सरकार की सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों का केवल इस आधार पर कि वे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है, कोई अहित न होगा।

इसके लिए समुचित उपायों पर विचार करने के लिए राजभाषा विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करें।

(4) हिन्दी, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण :

समिति ने सिफारिश की है कि उनके प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि आदि के प्रशिक्षण के बारे में, और तीसरे खण्ड में हिन्दी शिक्षण के बारे में जो सिफारिश की गई है, उसे शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाये।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग द्वारा समिति के प्रतिवेदन के दूसरे और तीसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर संकल्प जारी कर दिए गए हैं। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे वे उक्त सभी सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में सम्बद्ध संकल्प में किये गये प्रावधान के अनुसार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनायें और समय-समय पर उसकी समीक्षा करें ताकि समिति की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जा सके।

(5) हिन्दी टाइपराइटर और अन्य यांत्रिक सुविधायें :

(क) हिन्दी टाइपराइटर आदि की सुविधाएं।

समिति ने सिफारिश की है कि उनके प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में हिन्दी टाइपराइटरों तथा अन्य यांत्रिक सुविधाओं के सम्बन्ध में की गई सिफारिश पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और इस बारे में सरकार के आदेशों का गम्भीरतापूर्वक अनुपालन किया जाये।

यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग द्वारा समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर संकल्प जारी कर दिये गये हैं। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वे समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में की गई सिफारिशों को संकल्प में किये गये प्रावधान के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र लागू करें।

(ख) कम्प्यूटर, शब्द-ससाधन, टेलीप्रिन्टर आदि में हिन्दी का प्रयोग :

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न इलक्ट्रॉनिकी उपकरणों में कम्प्यूटर, शब्द-संसाधन, टेलीप्रिन्टर आदि में अंग्रेजी के साथ-साथ जब तक हिन्दी में काम करने की क्षमता उपलब्ध न हो तब तक ऐसे उपकरण न लगाये जायें और कम्प्यूटर आदि में जहां देवनागरी के सोफ्ट-वेयर उपलब्ध न हो, तुरन्त उपलब्ध कराये जायें।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग, इलक्ट्रॉनिकी विभाग से अनुरोध कर कि वे इस सम्बन्ध में जांच-बिन्दु स्थापित करें जिससे कि समिति की सिफारिश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इलक्ट्रॉनिकी विभाग, जहां कम्प्यूटर आदि में देवनागरी के सोफ्ट वेयर उपलब्ध न हों, उन्हें उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्रातिशीघ्र समुचित कार्रवाई करें।

(6) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन :

(क) धारा 3(3) का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और इसके लिए प्रतिवेदन के पहले खण्ड में की गई तत्सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में सिफारिशों पर और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बारे में शीघ्र कार्रवाई की जाये।

यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुनः अनुरोध करे।

(ख) "क" क्षेत्र में धारा 3(3) के दस्तावेज केवल हिन्दी में जारी करना।

समिति ने सिफारिश की है कि "क" क्षेत्र में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के दस्तावेज (संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों को छोड़कर) केवल हिन्दी में जारी किए जाएं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार जब तक ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार करने के बाद ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हरेक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक धारा 3(3) की स्थिति यथावत् बनी रहेगी। अतः वर्तमान में समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

(7) वार्षिक कार्यक्रम का समयसमय संचितरण और अनुपालन :

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक कार्यक्रम फरवरी माह के अन्त तक उपलब्ध करा दिया जाये और सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि वे उक्त कार्यक्रम की प्रतियां अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि को तथा देश-विदेश में स्थित सभी कार्यालयों को अप्रैल माह के अन्त तक अवश्य भेज दें तथा उसका कड़ाई से अनुपालन करायें।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में कार्रवाई करे एवं मंत्रालयों/विभागों में भी इस सम्बन्ध में वार्षिक कार्यक्रम का समय पर संचितरण एवं उसके अनुपालन के लिए अनुरोध करे।

(8) राजभाषा कार्यान्वयन समितियां :

(क) समितियों का गठन :

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टॉफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, अनिवार्य रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाये और कार्यालय अध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाये।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करें।

(ख) बैठकों का आयोजन

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कम से कम ६ बैठकें बुलाई जायें ।

ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी । तथापि, समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग, सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वे तथा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का कारगर ढंग से आयोजन करने की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें तथा इन बैठकों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर मुख्य रूप से विचार विमर्श/समीक्षा भी सुनिश्चित करें ।

(ग) हिन्दी सलाहकार समितियां

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए अलग-अलग हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जाए । उनका समय-समय पर पुनर्गठन किया जाए, वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएं तथा समितियों की सिफारिशों पर ठोस रूप से यथासमय अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ।

समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जो बहुत छोटे छोटे मंत्रालय/विभाग हैं, उनमें संयुक्त रूप से हिन्दी सलाहकार समिति गठित की जाएं । शेष मंत्रालयों/विभागों की अलग-अलग हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की जाएं । राजभाषा विभाग इस परिप्रेक्ष्य में पुन समीक्षा करके नीति निर्धारित करे ।

(घ) विभागीय बैठकों/सम्मेलनों की कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि .

(क) समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त आदि एवं अन्य पत्राचार में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए ।

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि केवल "क" क्षेत्र में परिचालित होने वाली कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि एवम् सम्बन्धित पत्राचार केवल हिन्दी में परिचालित किए जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(ख) समिति ने यह सिफारिश की है कि बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों में आमंत्रित व्यक्तियों को अपने विचार राजभाषा हिन्दी में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

यह सिफारिश भी मान ली गई है । इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालय/विभाग आदि बैठकों, सम्मेलनों आदि में आमंत्रित व्यक्तियों से अपने विचार राजभाषा हिन्दी में व्यक्त करने के लिए आग्रह करें ।

(10) हिन्दी में पत्राचार और तार

समिति ने सिफारिश की है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार में राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाये और 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ भी हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा "क" तथा "ख" क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेज जाए और "ग" क्षेत्र में भी हिन्दी में तार भेजने की शुरुआत की जाये ।

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने तथा हिन्दी में मूल पत्राचार करने के सम्बन्ध में की गई समिति की सिफारिश को मान लिया गया है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठोस उपाय करें । जो मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि लक्ष्य से बहुत पीछे हों वे एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके एक समय-सीमा के अन्दर समिति की सिफारिश का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

तार देवनागरी में भेजने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ मान ली गयी है । उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की तरह 'ग' क्षेत्र को भेजे जाने वाले तारों का लक्ष्य निर्धारित करे और सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को निर्देश जारी करके उनका अनुपालन सुनिश्चित कराये ।

(11) शब्दकोश, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिन्दी पुस्तकों की व्यवस्था ।

समिति ने सिफारिश की है कि हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने और राजभाषा हिन्दी में मूल काम करने में उपलब्ध सहायक हिन्दी पुस्तकों, जैसे अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश, सहायक और संदर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दावलियां, तकनीकी साहित्य, ललित साहित्य तथा विविध विषयों पर बाजार में उपलब्ध इस प्रकार का साहित्य का पूरा प्रचार किया जाये और इनका निःशुल्क वितरण भी किया जाये । साथ ही हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए कुल अनुदान का 50 प्रतिशत खर्च किया जाये । राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रकार की हिन्दी की उपयोगी पुस्तकों का पता लगाने की प्रक्रिया निरन्तर चलाई जानी चाहिए और उनकी सूची सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे उसके अनुसार अपने पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकें खरीद सकें ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इनके कार्यान्वयन हेतु हालांकि पहले से निर्देश जारी किए जा चुके हैं, तथापि समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में इनकी पुनरावृत्ति करते हुए पुन आदेश जारी किए जाये ताकि इनका सुचारु रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके ।

(12) कोड/मैनुअल और अन्य कार्य-विधि साहित्य

समिति ने सिफारिश की है कि जिन मंत्रालयों/विभागों आदि में अभी तक जिन कोडों, मैनुअलों और प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद नहीं हुआ है, उनके द्वारा ऐसे सभी प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का काम पूरा करने का कार्य राजभाषा विभाग के दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 के संकल्प के अन्तर्गत राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अर्थात् वर्ष 1991 सुरक्षा मंत्रालय के संदर्भ में (1994-95) के अन्त तक पूरा कर लिया जाए । (चूंकि वर्ष 1991 समाप्त हो गया है अत अब यह लक्ष्य 1992 के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए)

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को पुन इस संबंध में निदेश दिए जाए कि इस कार्य के लिए निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाये । सभी मंत्रालयों/विभागों में यह भी अनुरोध किया जाए कि वे अपने-अपने कोड/मैनुअल फार्म और अन्य कार्य-विधि साहित्य अद्यतन रूप में अपने सभी कार्यालयों में सम्प्रेषित कराएं, प्रक्रिया साहित्य में संशोधन कराएं तथा इसके लिए सरकारी मुद्रणालय का चैक-पाइन्ट बनाते हुए इस पर पूरी निगरानी रखें ।

(13) रबड़ की मोहर, नामपट्ट साइन बोर्ड, शीर्ष और पत्र-शीर्ष आदि

समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार के देश-विदेश में स्थित सभी कार्यालयों और क्षेत्र "क" एवं "ख" में स्थित केन्द्रीय सरकार

से अनुदान पाने वाले स्वैच्छिक संस्थान भी यह सुनिश्चित करें कि वे अपने-अपने नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र-शीर्ष, लोगो आदि सभी द्विभाषी रूप में तैयार कराएं और "ग" क्षेत्र में स्थित ऐसे संस्थान इन्हें त्रिभाषी रूप में तैयार कराये । पत्र-शीर्ष, नामपट्ट आदि बनवाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सभी भाषाओं की लिपियों का आकार बराबर हो।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग, इस सम्बन्ध में पहले से जारी निदेशों को पुनः परिचालित करे एवं इनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे ।

(14) प्रशिक्षण का माध्यम :

समिति ने केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट के तीसरे खण्ड में इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को दोहराते हुए अपेक्षा की है कि उन्हें तुरन्त कार्यान्वित किया जाए और इस विषय में जारी किए गए अनेक सरकारी आदेशों व अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए क्योंकि इस सम्बन्ध मे अब पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ।

समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-3 मे की गई इस सिफारिश को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और इस सम्बन्ध मे राजभाषा विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1991 के संकल्प के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है ।

(15) भर्ती परीक्षाओं मे हिन्दी का विकल्प :

समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती परीक्षाओ में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को तुरन्त समाप्त करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 18 जनवरी, 1968 के संसद के संकल्प में की गई व्यवस्था का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाए और उस प्रावधान मे अन्तर्निहित भावना का पूर्ण आदर किया जाए ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । तथापि, अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के मामले पर चूंकि संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना है जैसा कि समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-3 के सम्बन्ध मे राजभाषा विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1991 के संकल्प मे उल्लेख है । अंतिम निर्णय हो जाने पर राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागो/कार्यालयों आदि को इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना भेजें ।

(16) रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओ के शीर्षक और प्रविष्टियां :

समिति ने सिफारिश की है कि सभी कार्यालयो मे उपलब्ध रजिस्टरो और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओ के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए और उनमे प्रविष्टियां हिन्दी मे होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दियो पर लगाए जा रहे बिल्ले/प्रतीक चिह्न आदि भी हिन्दी मे अवश्य होने चाहिएं, वर्दियों पर काढ़े जाने वाले नाम भी दोनों भाषाओं हिन्दी और अंग्रेजी में होने चाहिए । इसके अतिरिक्त "क" और "ख" क्षेत्र में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाए ।

समिति की यह सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है । "क" व "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी मे की जाएं तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथा सम्भव हिन्दी में की जाएं । इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए निदेश पुनः सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को परिचालित किये जाए ताकि समिति की इस सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

(17) जांच-बिन्दु :

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए जांच-बिन्दु बनाने के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक पालन करें और जांच-बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से स्थापित करें ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में पुनः मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वे अपने कार्यालयों में जांच-बिन्दुओं को सक्रिय और प्रभावी बनाना सुनिश्चित करें ।

(18) द्विभाषी प्रकाशन :

समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों आदि द्वारा केवल अंग्रेजी में प्रकाशन न निकाले जाये बल्कि द्विभाषी रूप में ही प्रकाशन निकाले जायें । हिन्दी प्रकाशनो की मुद्रित संख्या, अंग्रेजी प्रकाशनो की तुलना में कम न हों और द्विभाषिक प्रकाशनों में हिन्दी के पृष्ठो की संख्या अंग्रेजी के पृष्ठो की संख्या से कम न हो । राजभाषा विभाग और सभी सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागो द्वारा इस दिशा मे विशेष रूप से कदम उठाये जाये तथा हिन्दी में नये मौलिक प्रकाशन निकाले जायें ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागो/कार्यालयों आदि से इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध करे ताकि समिति की इस सिफारिश को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित किया जा सके ।

(19) समिति के प्रतिवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई :

(क) समिति ने सिफारिश की है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के चारों खण्डों में की गई सिफारिशों पर अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई की जाये जिससे संघ की राजभाषा नीति को सुचारू एवं प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग की समिति द्वारा की गई मंत्रालयवार समीक्षा सम्बन्धी अनुच्छेदों की प्रतियां सम्बंधित कार्यालयों आदि को तत्काल अग्रेषित की जाएं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के निदेश दिए जाएं ।

समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी है । समिति के प्रतिवेदन के चारो खण्डो में की गई सिफारिशो एवं उनके परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्पो/अनुदेशो का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे और समय-समय पर स्थिति का जायजा लेने की व्यवस्था करे ।

(ख) समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे और तीसरे खण्ड में की गई अपनी इस सिफारिश को दोहराया है कि देश की एकता और अखण्डता के लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के दायित्व व महत्व को देखते हुए भारत सरकार, राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करें, उसे और अधिक सुदृढ़ बनाए और उसे एक मंत्रालय का दर्जा दे जिससे भारत सरकार की राजभाषा नीति को उसके सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों में प्रभावी और कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा सके ।

गृह मंत्रालय के महत्व, कार्य-क्षेत्र, एवं विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इसके सम्पर्क को देखते हुए राजभाषा विभाग को गृह मंत्रालय के ही अन्तर्गत रखा जाये । अतः समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है । तथापि, समिति की सिफारिशों के अनुसार राजभाषा विभाग को और अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाया जाये ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

महेन्द्र नाथ,
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी, 1992

सं० यू०—13019/2/89 जी० पी०—राष्ट्रपति, गृह मंत्री से सम्बद्ध दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की परामर्श दात्री समिति के लिए निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को वर्ष 1991—92 और 1992—93 के लिए नामित करते हैं :—

1. श्री पीखूभाई बन्साभाई भीमरा,
 ———सरपंच खानवेल ग्रुप ग्राम पंचायत ।

2. श्री रमेश भाई बाबूभाई पटेल,
 ———सरपंच सिलवासा ।

3. श्री नटवर सिंह रामसिंह चौहान,
 ———सरपंच नारोली ।

4. श्रीमती शांतिबेन छेस्टाभाई पटेल—महिला सदस्य,
 ———सदस्य ग्रुप ग्राम पंचायत, सिलवासा ।

प्रकाश चन्द्र,
निदेशक (सी० पी० एस०)

उद्योग मंत्रालय

(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी, 1992

संकल्प

सं० ए०—43011(37)/89—प्र० स०—समसंख्यक संकल्प दिनांक 28 अक्तूबर, 1991 के अनुक्रम में, जिसमें कि दिनांक 15 मार्च, 1991 से आयात प्रतिस्थापना तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए पुरस्कार बोर्ड की वैधता की अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी, भारत सरकार ने अब क्रम सं० 16 में श्री बी० भनोट, औद्योगिक सलाहकार की जगह श्री लक्ष्मण मिश्रा, उप महानिदेशक को सदस्य के रूप में प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है । बोर्ड के अन्य सदस्यों तथा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

आदेश

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को सम्प्रेषित की जाए । यह भी आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

मदन मोहन,
निदेशक (प्रशासन)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी, 1992

संकल्प

सं० फा० 15—4/90-सी० एच० I—राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति, भोपाल के नियमों और विनियमों के नियम 3 के उपनियम (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री जे० स्वामीनाथन को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति का अवैतनिक अध्यक्ष मनोनीत करती है । इस नाते श्री जे० स्वामीनाथन राष्ट्रीय संग्रहालय समिति के नियम 18(ख) (1) के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा नामांकक प्राधिकारी द्वारा अध्यक्षता समाप्त करने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति की कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष भी होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति निदेशक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पो० बा० 7, तथा हाउसिंग बोर्ड काम्प्लेक्स, भोपाल-462016 को भेजी जाए और इस संकल्प को भारत के राजपत्र में जन सामान्य की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

एस० मिश्र,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi the 4th November 1991

RESOLUTION

No 13015/1/91-OL (D) —The Committee of Parliamentary on Official Language was constituted under Section 4(1) of the Official Language Act, 1963 After reviewing the progress made in the use of Hindi for Official purposes of the Union and the training arrangements for imparting training through Hindi medium in Training Institutes, the Committee submitted the Third part of its Report in February, 1989 to the President of India, making recommendations on the arrangements to be made for Hindi training to Central Government employees as well as for imparting training through Hindi medium In accordance with Section 4(3) of the Official Language Act, 1963, the Report was laid on the table of Lok Sabha and Rajya Sabha on 13th October, 1989 and 27th December, 1989 respectively Copies of the Report were also sent to the States/Union Territory Governments Since the recommendations of the Committee are related to the arrangements to be made for the Hindi training of Central Government employees and for imparting training through the Hindi medium, the opinion of various Ministries/Departments was also obtained After considering the opinion expressed by the States/Union Territory Governments and various Ministries/Departments in this regard, a decision has been taken to accept most of the recommendations of the Committee in their original form or with certain modifications Accordingly, the undersigned is directed to convey orders of the President on the recommendations made by the Committee in its Report in accordance with Section 4(4) of the Official Language Act, 1963 as under —

(A) *Imparting Hindi Training to the employees*

(1) *Strengthening of Hindi Teaching Scheme and other Departmental arrangements*

The Committee has recommended that the Hindi Teaching Scheme and other departmental arrangements should be strengthened to impart Hindi training to the Government employees

This recommendation has been accepted The Department of Official Language may take necessary steps to strengthen the Hindi Teaching Scheme and issue necessary directions for strengthening other departmental arrangements by circulating recommendations of the Committee to all the Ministries/Departments

(2) *Incentives for Hindi training*

The Committee has recommended that the existing incentives for Hindi training be continued for some more time to come and also be made more attractive

This recommendation has been accepted in principle The Department of Official Language may take necessary steps to implement it

(3) *Lump sum Cash awards to the employees on passing examinations under Hindi Teaching Scheme through one's own efforts*

The Committee has recommended that on passing the examination under the Hindi Teaching Scheme after learning Hindi either through one's own efforts or through a correspondence course or through voluntary organisation, the amount of lump-sum cash award to the employees be doubled

The recommendation of the Committee has been accepted in principle and this amount has been raised to one and half times from July, 1989 in consultation with the Ministry of Finance A fresh proposal may be sent to the Ministry of Finance to further increase this amount to double of what was prior to July, 1989

(4) *Reviewing of courses under Hindi Teaching Scheme and improvements in them*

The Committee has recommended that the different courses conducted by the Hindi Teaching Scheme should be reviewed from time to time and after bringing out improvements in them, they should be made more practicable for official work

This recommendation of the Committee has also been accepted and necessary action has been taken The Department of Official Language has already constituted a Review Committee to review the Hindi Teaching Scheme as well as the different courses conducted by it

(5) *Fixing a time limit for imparting training in Hindi*

The Committee has recommended that the employees of region 'A' and 'B' who are yet to be trained in Hindi, may be imparted this training by the end of year 1990 and to those belonging to region 'C' by the end of year 1993

The period stipulated by the Committee for region 'A' and 'B' has already expired In view of the present number of untrained employees and the difficulties faced in availability of financial resources, the recommendation of the Committee has been accepted with the modification that the existing number of employees of the offices located in region 'A' and 'B' and those belonging to region 'C' would be imparted training in Hindi by the end of year 1997 and 2000 respectively

This matter may also be referred to the Review Committee being constituted by the Department of Official Language for Hindi Teaching Scheme so that it could, keeping in view the said target, suggest suitable improvements/changes which are to be made in the present Hindi Teaching programmes to fulfil this recommendation

(6) *Imparting Training to the Newly Recruited Employees*

The Committee has recommended that the newly recruited employees be imparted training in Hindi prior to professional training

This recommendation has also been accepted in principle Action has already been taken in this regard and in pursuance thereof the Department of Official Language has set up two sub-institutes of the Central Hindi Training Institute in Madras and Hyderabad during the year 1990-91 The Department of Official Language may set up additional sub-institutes of the Central Hindi Training Institute every year for full time intensive Hindi Training Simultaneously all the Ministries/Departments may be directed to make such arrangements in all their respective training institutes so that such employees who do not know Hindi could be imparted intensive Hindi training before giving them professional training

(7) *New Centres of Hindi Teaching Scheme*

The Committee has recommended that new Centres of Hindi Teaching Scheme should be set up in region 'C'

This recommendation of the Committee has been accepted.

(8) *Relaxation in the norms for setting up new Centres under Hindi Teaching Scheme*

The Committee has recommended that the norms for opening of Hindi Teaching Centres for Central Government employees in the remote towns may be relaxed

This recommendation of the Committee has been accepted The Department of Official Language may send fresh proposal to Department of Expenditure to accord relaxation in the existing norms for the opening of new centres in 'C' region

(9) *Incentives for Hindi Pradhyapaks working in 'B' and 'C' region*

The Committee has recommended that additional financial incentives may be given to Hindi Pradhyapaks working in 'B' and 'C' Regions and relaxation should be given in

the prescribed educational qualifications and/or age limit also.

To give relaxation in educational qualification or age limit is not practicable on the principle of equality and it may create constitutional difficulties. However, this recommendation in so far as it relates to the provision of financial and other incentives to the Hindi Pradhyapaks working at remote places in region 'B' and 'C' may be considered by the Department of Official Language in consultation with the Ministry of Finance and Department of Personnel and Training has been accepted.

(10) *Increase in the rates of honorarium to the part-time teachers*

The Committee has recommended that the rates of honorarium to the part-time teachers of Hindi Teaching Scheme may be increased from time to time.

This recommendation has been accepted in principle. Keeping in view the present difficult situation regarding availability of financial resources, the Department of Official Language in consultation with the Ministry of Finance may take appropriate action.

(11) *Relaxation in norms for creation of new posts of teachers*

The Committee has recommended that relaxation prescribed for the creation of new posts of Hindi Teachers may be further relaxed.

This recommendation has been accepted in principle. Since this recommendation involves the question of availability of financial resources, the Department of Official Language should prepare a detailed proposal in this matter and consult the Department of Expenditure.

(12) *Converting part-time centres into full time centres*

The Committee has recommended that the existing part-time arrangements for in-service Hindi training may be converted into full-time arrangements.

At the moment, various arrangements are available for in-service Hindi training; viz. intensive course, part-time training at full time centres, part-time training at part-time centres, as well as training course through correspondence. Since all these arrangements have been made according to the requirements of the different categories of employees, therefore, it is necessary to continue all these arrangements simultaneously. Full-time training centres are, however, already being opened by the Central Hindi Training Institute. Therefore, this recommendation of the Committee has been accepted with the modification that wherever practicable and possible, full time centres may be opened. At the same time the existing part time arrangements may also continue.

(13) *Appointing substitutes in lieu of the employees deputed for training*

The Committee has recommended that arrangements should be made for appointing substitutes in lieu of the employees deputed for intensive Hindi training.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language, in consultation with the Department of Personnel & Training, may issue directions to all the Ministries/Departments for its implementation.

(14) *Roster for the untrained employees*

The Committee has recommended that the rosters of employees untrained in Hindi may be maintained in all the offices as per rules.

This recommendation of the Committee has been accepted. In fact the directions in this regard have already been issued by the Department of Official Language. However, the Department of Official Language should bring this recommendation of the Committee to the notice of all the Ministries/Departments, etc. and request them for strict compliance of the existing directions.

(15) *Facilities to the newly trained employees for working in Hindi*

The Committee has recommended that facilities as well as incentives should be provided to the newly trained employees for working in Hindi after the training.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments etc. for compliance and request them to follow the directions completely to provide books and reference literature to the trained employees. In addition, all the Ministries/Departments may also be requested to get reference literature prepared in Hindi and ensure its distribution to all their officers and employees.

(16) *Compulsory Hindi training for the employees of Industrial establishments*

The Committee has recommended that Hindi training should be made compulsory for those officers/employees of the industrial establishments who have to do some desk work.

This recommendation has been accepted in principle. The Department of Official Language may take appropriate action in this regard.

(17) *Grants-in-aid and incentives to voluntary organisations engaged in Hindi teaching*

The Committee has recommended that the quantum of grants-in-aid being given to the voluntary organisations engaged in Hindi teaching should be suitably enhanced, special grants should be provided to them for purchase of mechanical equipments, consultancy and assistance may be provided to them to bring the courses conducted by them on the pattern of Hindi Teaching Scheme, special grants may also be given to them for books, publications, construction of building, etc. and the Government should appoint a high powered committee in this regard to evaluate the working and problems of these voluntary organisations and prepare a well planned co-ordinated programme and may prescribe new and more liberal norms for the grant-in-aid to be given to them. The Committee has further recommended that on passing the examinations conducted by these organisations, the Central Government employees should get all the incentives which they would have otherwise got on passing the examinations conducted by the Hindi Teaching Scheme.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Education may appoint a high powered Committee in this regard, which may consider the issues raised in the recommendations of Committee of Parliament on Official Language and present its report to the Department of Education.

(18) *Correspondence Courses for Hindi teaching*

The Committee has recommended that the correspondence courses of Central Hindi Directorate may be expanded and all the employees given admission to these courses. Under the correspondence courses the training may be imparted through all the Indian languages and apart from English through other foreign languages like Arabic, Chinese German, French, Spanish etc.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Education may be requested to expand, as per requirement, the correspondence courses being run by the Central Hindi Directorate and the Government employees should be exempted from the fees charged for the correspondence courses.

From 1990-91, an additional correspondence course has been started by the Central Hindi Training Institute. Training in Hindi to Govt. employees should be given through English-Hindi medium. The Committee's recommendation regarding conducting correspondence courses through the medium of all the Indian languages and also through foreign languages other than English has been accepted in principle with this modification that the Department of Education may prepare necessary time-bound pro-

gramme and implement the same. The recommendation regarding the availability of the correspondence courses to all the employees has also been accepted with the modification that only those employees may avail themselves of the benefit of the correspondence courses who cannot take part in the regular courses of the Hindi Teaching Scheme and Central Hindi Training Institute.

(19) *Strengthening of Central Hindi Training Institute*

The Committee has recommended that Central Hindi Training Institute and its sub-centres established to impart intensive training to newly recruited employees should be strengthened.

This recommendation of the Committee has been accepted and is being implemented. Two sub-Centres of the Training Institute have been established in the year 1990-91 and during the Eighth Five Year Plan it is proposed that more Sub-Centres may be established in other parts of the country. Sufficient provision has been proposed in the Eighth Five Year Plan to strengthen the Central Hindi Training Institute and its Sub-Centres.

(20) *Hindi Training in long-term courses*

The Committee has recommended that training institutes of various Ministries/Departments/Undertakings, etc. conducting long term courses should also teach Hindi as a subject. Financial sanctions for additional posts required for this purpose in the institute should be accorded immediately.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language should request all the Ministries/Departments etc. to make necessary arrangements in training institutes directly under their charge and under the charge of Undertakings controlled by them.

(21) *Extension of departmental training arrangements for Hindi training*

The Committee has recommended that Ministries/Departments having no Hindi Training arrangements as yet should also make necessary departmental arrangements.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language should direct all the Ministries/Departments to consider making departmental arrangements for imparting Hindi training in their Attached/Subordinate Offices/Undertakings/Autonomous bodies etc. and ensure Departmental arrangements as per requirement so that training in Hindi could be imparted to the remaining employees.

(22) *Broadcasting/telecasting Hindi courses by All India Radio and Television*

The Committee has recommended that the duration and frequency of Hindi lessons broadcast by All India Radio should be increased and these lessons should also be telecast over Doordarshan.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Ministry of Information and Broadcasting and Ministry of Human Resources Development may review the situation according to this recommendation and take effective measures to implement the recommendation.

(B) *Organising Hindi Workshops*

The Committee has recommended that to overcome the hesitation of the officials to work in Hindi, workshops should be so organised that all such employees who possess knowledge of Hindi but have never been nominated for such workshops can participate in them. The Committee has also recommended that such workshops be organised regularly during the period of next five years with a view to ensure that every Hindi knowing employee is able to take part therein at least once a year and that he gets a fair opportunity to do his work originally in Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. Department of Official Language may reiterate its directives on the subject and re-circulate to all the Ministries/Departments and offices etc. detailed instructions on organising workshops during the period of the next five years.

(C) *Facilities for Hindi teaching in educational institutes all over the country*

The Committee has recommended that Central Government may review the situation regarding teaching of Hindi in various parts of the country and ensure that proper arrangements exist all over the country in schools, colleges and universities for teaching various subjects through the Hindi medium and that there are no obstacles to the learning and teaching of Hindi or to the learning of and teaching through the Hindi medium.

Since the primary responsibility of imparting education is of the State Governments, this recommendation of the Committee has been accepted only in principle. The Department of Education may take necessary steps to implement this recommendation in schools, colleges and universities run by Central Government. Besides, Department of Education should inform State Governments about this recommendation and should request them to take necessary measures to implement this recommendation.

(D) *Implementation of three language formula*

The Committe has recommended that effective measures should be taken to implement the three language formula in all States immediately and a time limit should be fixed for this purpose and concrete steps taken to achieve the target.

Since the responsibility for implementing the three language formula, primarily rests with the State Governments, this recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Education, after thorough consideration and where necessary in consultation with the State Governments should chalk out specific programmes and encourage the State Governments for its implementation. Besides, the Department of Education should take effective steps for the implementation of three language formula in Central Schools and Navodaya Vidhyalayas under their control.

(E) *Option of Hindi in Interviews for recruitment*

The Committe has recommended that advertisements for recruitment, bio-data forms and call letters for interviews to be sent to the candidates should be both in Hindi and English. Besides, it should be specifically made clear to the candidates that they can opt for either Hindi or English in the interview. In addition, he should also be asked to intimate in writing the language, in which he would like to be interviewed so that the selection Board might interview him in that language. The Committee has also recommended that interview boards should also be so constituted that the members of the Board should have knowledge of Hindi.

The recommendation of the Committee that in interviews for recruitment, option of Hindi medium should be also available alongwith English and that candidates should be clearly asked in the call-letter to intimate their option regarding the language of interview, has been accepted. The recommendation regarding constitution of Selection Board has also been accepted in principle with the modification that Selection Boards should be constituted in such a way that conversation with the candidates who desire to be interviewed in Hindi could be carried on in Hindi.

The Department of Personnel and Training should issue appropriate directions to all the Ministries/Departments in this regard.

(F) *Option of Hindi medium in recruitment and entrance examinations of Agriculture, Engineering and Medical Sciences*

The Committee has recommended that in Agriculture Engineering and Medical Sciences Institutes, which are under the control of the Central Government in one way or the other the option of Hindi medium should be immediately made

available to the candidates in the entrance and recruitment examinations conducted by them and they should also make arrangements for imparting instruction through the medium of Hindi in case a candidate so desires. The Committee has also recommended that serious efforts should be made for commencing medical education through the medium of Hindi also in the near future and that for this purpose, action should be initiated to get the text-books and reference literature prepared in Hindi.

This recommendation of the Committee that option of Hindi medium in entrance examination should be immediately made available in all such institutes which are under the control of Central Government, one way or the other has been accepted. The Department of Education Indian Council of Agriculture Research and Ministry of Health and Family Welfare should ensure appropriate action in this regard so that option of Hindi medium could immediately be made available to the candidates in the entrance examinations. In the matter of option of Hindi medium for imparting education in Engineering and Agriculture, the recommendation of the Committee has been accepted in principle. However, various Institutes should be allowed to formulate a time-bound programme to provide the option of Hindi medium keeping in view the circumstances. The Department of Education and Indian Council of Agriculture Research may issue appropriate directions to the institutes under their control and ensure their complance.

The recommendation of the Committee that serious efforts should be made to impart education in Medical Sciences through Hindi medium in near future and that for this purpose, action should be initiated for preparation of text books and reference literature in Hindi has been accepted. Ministry of Health and Family Welfare may ensure appropriate action in this matter and formulate a time-bound programme for this purpose and take action accordingly.

(G) *Review of various recruitment rules in vogue so as to ensure that requisite changes are made in accordance with the Official Language Resolution* 1968

The Committee has recommended that according to the Official Language Resolution, 1968 passed by Parliament, recruitment rules of all posts should be reviewed with a view to examining whether it is necessary to have the knowledge of English or Hindi or both at the time of recruitment.

Where for a particular post, the knowledge of a particular language is not essential, the option of English or Hindi should be given to the candidate and if at the time of recruitment he does not have the knowledge of Hindi, a provision should be made in the rules requiring him to acquire the same during his probation period.

The recommendatioin of the Committee has been accepted. The Department of Official Language, in consultation with the Department of Personnel and Training may request all the Ministries/Departments to review the recruitment rules in view of the said provision in accordance with a time-bound programme. In the case of candidates who do not have knowledge of Hindi, Department of Personnel and Training may be requested to make a provision requiring them to acquire the requisite knowledge of Hindi during the probation period.

(H) *Training through the medium of Hindi in the Training Institutions*

(1) *All types of training to be imparted through Hindi medium*

The Committee has recommended that all types of training courses whether they are of short duration or long duration, should be conducted through Hindi medium as after undergoing training in Hindi medium it would be convenient for the employees to do their work originally in Hindi. This provision should be given effect to immediately at least in the training institutions functioning in regions 'A' and 'B'. In case some of the employees nominated for training in these Institutes do not possess knowledge of Hindi of the requisite standard, they should be sent for training only after they attain such knowledge of Hindi

This recommendation has been accepted in principle with respect to regions 'A' and 'B' . The Department of Official Language may, in continuation of their Office Memorandum dated 11-11-1987, issue instructions to all the Ministries/Departments for its implementation within the prescribed period.

(2) *Arrangements for Hindi training on the commencement of service for new recruits who do not possess knowledge of Hindi*

The Committee has recommended that if newly recruited employees who do not have knowledge of Hindi are required to receive training on the commencement of their service, arrangements should be made to impart Hindi training first.

This recommendation has been accepted in principle. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments to implement the same.

(3) *Conducting intensive training courses in Hindi in long-term training courses of the Training Institute*

The Committee has recommended that wherever long term training courses are being conducted, intensive training courses in Hindi should also be conducted in the training institutes so that the trainees who do not know Hindi, undergo the professional training after acquiring the knowledge of Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language may issue the directions to all the Ministries/Departments to implement the recommendation.

(4) *To familiarise the trainees with Official Language Policy of the Government in the training courses of* 15 *days duration more*

The Committee has recommended that training wherever possible and especially in training courses of 15 days' duration or more, the trainees should be familiarised with the Official Language police of the Government as well as with the rules, orders etc. issued in this regard.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments to implement the recommendation.

(5) *Translation of course-material relating to training*

The Committee has recommended that course-material relating to training should be translated early.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may in continuation of Office Memorandum dated 11-11-1987 direct all Ministries/Departments to implement the recommendation within a prescribed time limit.

(6) *Incentive schemes available in various Ministries/Departments for writing original books on technical subjects concerning their field of work should be made more liberal and attractive.*

The Committee has recommended that the incentive schemes being run by various Ministries/Departments for writing original books on technical subjects concerning their field of work for translating into Hindi the books written in English should be made more liberal and attractive and those Ministries/Departments, as have not yet introduced such schemes should also introduce similar schemes.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments to implement it.

(7) *Special incentive to the teachers of the training institutes for writing books on their subjects in Hindi*

The Committee has recommended that the teachers employed in the training institutes should be given special incentives for writing or translating the books relating to their subjects so that they could endeavour to produce necessary course material and reference literature in Hindi.

This recommendation of the Cimmittee has been accepted in princ.ple. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments to implement the recommendation.

(8) *Special incentives to encourage the retired and capable officers and teachers of the Central Government and Universities for writing original books on selected subjects in Hindi*

The Committee has recommended that in order to derive advantage of long experience and the expertise of the retired and capable officers and teachers of the Central Government and Universities, they should be encouraged through special incentives to write original books in Hindi on selected subjects.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language should issue direction to all the Ministries/Departments to implement the recommendation.

(9) *Arrangement of training for translation of foreign language directly into Hindi in the School of Foreign Language*

The Committee has recommended that arrangements should be made for direct translation from foreign languages into Hindi in the School of Foreign Languages run by the Ministry of Defence so that manuals etc. in foreign languages, could be directly translated into Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. For this purpose, the Ministry of Defence should evaluate the present position and make available necessary resources to the School of Foreign Languages for making appropriate arrangements.

(10) *Teaching Hindi to the teachers working in Training Institutes*

The Committee has recommended that arrangement should be made for teaching Hindi to those teachers of the various training institutes who do not possess the knowledge of Hindi of the requisite standard. Arrangement for training of teachers can be made by the Department of Official Language.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language should run special programmes for training of the teachers and intimate this to all the Ministries/Departments and the training institutes under their control so that all teachers could be given training of Hindi of the requisite standard.

(11) *Transfer of teachers working in 'A' and 'B' regions who are competent to impart training through the medium of Hindi to region 'C' for some-time*

The Committee has recommended that it will be easier to impart training through Hindi medium in the training institutes in region 'C' if teachers from 'A' and 'B' regions are transferred to region 'C' for a short duration to impart training through the medium of Hindi. Such teachers should be given special and attractive pay for the period of their stay in region 'C'.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. To attract the teachers of regions 'A' and 'B' to work in region 'C', the Department of Official Language may in consultation with the Ministry of Finance and Department of Personnel and Training, take appropriate action accordingly for providing special pay, etc.

(I) *Strengthening of the Department of Official Language*

The Committee has recommended that the Department of Official Language should be suitably strengthened and equipped to enable it not only to take appropriate and early action on the report of the Committee but also to ensure proper implementation of the Official Language Policy.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. Keeping in view the prevailing economic position in the country, the Department of Official Language may reformulate its proposals in this context and ensure its implementation in consultation with the Department of Expenditure.

2. The following recommendations of the Committee are still under consideration and decision thereon will be intimated later :—

1. In para 18.10 of Committee's Report the proposal regarding option of Hindi medium in all recruitment examinations .

2. In para 18.12 of the Committee's Report the recommendation to dispense with the compulsory English question papers in recruitment examination.

ORDER

A copy of this Resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Controller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

This Resolution should also be published in the Gazette of India for general information.

The 28th January 1992

RESOLUTION

No. 12019/10/91-O.L. (Int.).—The Committee of Parliament on Official Language was constituted under section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. After visiting various Ministries/Departments and their attached/subordinate offices/undertakings/institutes etc. and after having discussions with renowned and eminent persons, the three sub-committees of this Committee have brought out the present position regarding the use of Hindi language. After analysing these inspections and the up-to-date information available in this regard, the Committee submitted part IV of its Report to the President in November, 1989, making recommendations for the progressive use of Hindi in the Offices of Central Government and also for proper implementation of the Official Languages Act and the rules made thereunder. According to Section 4(3) of the Official Languages Act, 1963, this part of the Report was placed before both the Houses of Parliament in August, 1990. Copies of this Report were sent to the Government of the States and the Union Territories to elicit their opinion. Since the recommendations are in the context of progressive use of Hindi/implementation of Official Language policy in various Ministries/Departments and their Attached/Subordinate Offices, Undertakings, Institutes etc. the views of various Ministries/Departments were also sought in this regard. After considering the views received from the Governments of the States and Union Territories and also those received from various Ministries/Departments, it was decided to accept most of the recommendations made by the Committee in their original form or with some modifications. Accordingly, the undersigned is directed to convey the following orders of the President with regard to the recommendations made by the Committee under section 4(4) of the Official Languages Act, 1963 :—

(1) *Inspection and Monitoring*

The Committee has recommeded that it is necessary to strengthen the inspection and monitoring arrangements for effective implementation of the Official Language policy. For this purpose, staff may be provided separately for translation work as well as for inspection and monitoring.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may request all the Ministries/Departments to make proper arrangements for inspection and monitoring for the implementation of the Official Language policy and also create necessary posts for this, keeping in veiw the nature of their work and requirements.

(2) *Information and Mental attitude regarding Official Language Policy*

(a) *Organising Hindi Workshops/Seminars Conferences*

The Committee has recommended that seminars, Conferences, Workshops etc. may be organised from time to time for bringing out a change in the attitude of the officers/employees and for imparting them comprehensive knowledge regarding the

Official Language Policy. This recommendation has been accepted.

Though a target is set up in the Annual Programme issued by the Department of Official Language for the implementation of the Official Language Policy its total compliance is not achieved. The Department of Official Language may, therefore, once again request all the Ministries/Departments to organise regularly workshops, symposium, conferences etc and review this situation from time to time in accordance with the recommendations of the Committee.

(b) *Organising Hindi Workshops*

The Committee has also recommended that Hindi workshops should be organised regularly during the next 5 years in the context of recommendations made in Part-III of their report so that the Officers/Employees could overcome their hesitation of doing work in Hindi and every Hindi knowing employee could participate in these workshops at least once in a year and could get an opportunity for the practice of doing work originally in Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may request the various Ministries/Departments to organise such workshops regularly so that the officers and employees may to get rid of their hesitation of working in Hindi.

(c) *Organising 'All India Official Language Conferences*

The Committee has recommended that each Ministry/Department may organise All India Official Language Conference once in a year.

This recommendation of the Committee has been accepted with the modification that such conferences may be held only after the economy restrictions imposed at present by the Ministry of Finance in this regard have been lifted. The Department of Official Language may issue instructions in this connection in the course.

(3) *Entries in the Confidential Reports regarding Official Language*

The Committee has recommended that a mention Regarding the level of their knowledge of the Official Language Hindi and their capacity and inclination to work in Hindi may be made in the confidential reports of the officers and employees.

This recommendation of the Committee may be accepted in principle Before giving effect to this recommendation, it may be ensured that the persons in the services of the Union Government are not place at a disadvantage merely on the ground that they are not proficient in both Hindi and English Languages.

The Department of Official Language may consult Ministry of Law and Justice and the Department of Personnel and Training to consider suitable measures in the matter.

(4) *Training in Hindi, Hindi Typing and Hindi Stenography*

The Committee has recommended that the recommendations made in Part-II of this report regarding Hindi Typing and Hindi Stenography and regarding Hindi Training in Part-III may be implemented at the earliest.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language has issued resolutions on the recommendations made in parts II & III of the report of the Committee. The Department of Official Language may request all the Ministries/Departments that they may chalk out a time-bound programme in accordance with their provisions of the concerned resolutions for the implementation of all the aforesaid recommendations and review it periodically so that the recommendations of the Committee may be implemented at the earliest.

(5) *Hindi Typewriters and other Mechanical facilities*

(a) *Facilities of Hindi Typewriters etc.*

The Committee has recommended that an early action may be taken on the recommendations made in part-II of their report regarding Hindi Typewriters and other mechanical aids and the Government's orders in this regard may be followed seriously.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language has already issued resolution on the Committee's recommendations made in part II of their report. The Department of Official Language may request all the Ministries/Departments that they may implement the Committee's recommendations made in part II of their report in accordance with the provisions made in the resolution at the earliest.

(b) *Use of Hindi in computers, word-processors, teleprinters etc.*

The Committee has recommended that so long as various Electronic equipments, Computers, Word-processors, Teleprinters etc. not provided wtih necessary infrastructure for working in Hindi alongwith English, such equipments may not be installed and wherever computers etc. don't have software in Devanagari, such software may be made available forthwith.

This recommendation of the committee has been accepted. Department of Official Language may request the Department of Electronics to establish check-points in this regard in order to ensure the compliance of the recommendation of the committee. Department of Electronics may take appropriate action expeditiously for providing computer softwares etc. in Devanagari wherever they have not been provided so far.

(6) *Compliance of Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963.*

(a) *To ensure full compliance of section 3(3)*

The committee has recommended that full compliance of section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 may be ensured and for this, a expeditious action may be taken on the recommendations regarding such facilities as mentioned in part I of their report and to appoint officers and staff as per the norms laid down by the Department of Official Language.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may again request all the Ministries/Departments to ensure compliance of section 3(3) of the Official Languages Act.

(b) *To issue documents of section 3(3) in Region 'A' only in Hindi*

The Committee has recommended that documents of section 3(3) of the Official Languages Act (except for the documents required to be place before the Parliament), in Region 'A' should be issued only in Hindi.

According to the provisions of section 3(5) of the Official Languages Act, 1963, the provisions of section 3(3) shall remain in force until resolutions for the discontinuance of the use of English language for the purposes mentioned therein, have been passed by the Legislatures of all those States which have not adopted Hindi as their Official Language and until after considering the resolutions aforesaid, a resolution for such discontinuance is passed by each House of the Parliament. Therefore, at present, it is not possible to accept this recommendation of the committee.

7. *Timely Distribution and compliance of Annual Programme*

The committee has recommended that Annual Programme of succeeding financial year should be made available to various Ministries/Departments by the end of February by the Department of Official Language and all the Ministries/Departments should ensure that the copies of the said programme are sent to their subordinate offices, undertakings etc. and to all the offices situated within the country and abroad, invariably by the end of April and the schedule is strictly complied with.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language should take action in this regard and also request Ministries/Departments for the timely distribution and compliance of the annual programme.

8. *Official Language Implementation Committees*

(a) *Constitution of Committees*

The Committee has recommended that Official Language Implementation Committees may, essentially, be constituted in every small and big offices. Irrespective of the fact whether the number of staff working therein is more or less than 25 and the Head of the Office may be nominated as its Chairman.

This recommendation of the Committee has been accepted. Department of Official Language may issue directives in this regard.

(b) *Organising meetings*

The Committee has recommended that at least six meetings of the Official Language Implementation Committee constituted in each office should be organised during a year.

It is not feasible Therefore, this recommendation has not been accepted. However, in view of Committee's said recommendation, the Department of Official Language may request all the Ministries/Departments to ensure convening four meetings during a year (one each in a quarter) invariably, in their departments as well as in the offices under their control and also to ensure discussions/review in these meetings mainly regarding progressive use of the Official Language Hindi and the implementation of Annual Programme.

(c) *Hindi Advisory Committees*

The Committee has recommended that a Hindi Advisory Committee should be constituted for each Ministry/Department separately. These should be re-constituted from time to time, at least four meetings should be held during a year and timely followup action should be taken in concrete shape on the recommendations of the Committees.

This recommendation of the committee has been accepted with the modification that a joint committee be constituted for comparatively smaller Ministry/Department. However, separate committees may be constituted for other Ministries/Departments. The Department of Official Language may decide the policy, after reviewing the position.

9. *Agenda/Minutes etc. of the Departmental Meetings/Conferences*

(a) The committee has recommended that the Agenda/Minutes and other connected material for holding meetings, conferences and seminars by every office of the Government of India should be issued invariably in both the languages i.e. Hindi and English.

This recommendation has been accepted with the modification that the Agenda/Minutes etc. and the connected material to be circulated in Region 'A' may be issued only in Hindi. The Department of Official Language may issue necessary directions in this regard.

(b) The Committee has recommended that the persons invited in the meetings, conferences and seminars should be encouraged to express their views in the official language Hindi.

This recommendation has been accepted. All the Ministries/Departments etc. may request the persons invited to express their views in official language Hindi in the meetings, conferences etc.

10. *Correspondence and Telegrams in Hindi*

The committee has recommended that the letters received in Hindi should, invariably, be replied to in Hindi and the binding laid down in the Official Languages Rules relating to original correspondence should be fully complied with and the quantum of correspondence in Hindi with the Central Government offices located in Region 'C' should also be increased. The Committee has also recommended that the telegrams issued by the Central Government offices to the offices located in Regions 'A' and 'B' should be in Devanagari Script and a beginning be made to send telegrams in Hindi in Region 'C' as well.

The committee's recommendation relating to replying Hindi letters in Hindi and initiate original correspondence in Hindi has been accepted. The Department of Official Language may request all the Ministries/Departments to take concrete steps to achieve the targets, in respect of Hindi correspondence, as stipulated in the Annual Programme. Those Ministries/Departments, who lag behind the set targets may evolve a time-bound programme to ensure compliance of the recommendation of the committee within a stipulated time-limit.

The recommendation of the committee in respect of sending telegrams in Devanagari has been accepted with a partial modification. Keeping in view the available resources, the Department of Official Language may fix the target in the Annual Programme, for the telegram may to be sent to Region 'C' also on the analogy of Regions 'A' and 'B' and ensure its compliance by issuing directions to all the Ministries/Departments.

11. *Arrangement for Dictionaries, Glossaries, Help and Reference Literature and provision of other Hindi Books*

The Committee has recommeded that in order to create a conducive atmosphere for working in Hindi and in order to facilitate original work in Hindi, Hindi books such as English-Hindi and Hindi-English dictionaries, help and reference literature, technical glossaries, technical literature, fine arts literature and all other literature in Hindi available in the market on various subjects should be widely publicized and these books should also be distributed free of cost in the Government offices. Besides, fifty percent of the total grant should be utilised for the purchase of Hindi books. The process of identifying the useful books in Hindi should be continuously carried out by the Department of Official Language and a list thereof should be made available to all the Ministries/Departments/Offices so that they may be able to purchase Hindi books for their libraries conforming to the list.

This recommendation of the Committee has been accepted Although instructions have already been issued by the Department of Official Language in this regard; however, in view of recommendation of the Committee, orders should be issued again, reiterating the instructions given earlier so that proper compliance could be ensured

12. *Code/Manual and other Procedural Literature*

The Committee has recommended that such Ministries/Departments etc. where the Hindi translation of the manuals and procedural literature has not been completed so far, the work of translation of all such procedural literature should be completed by them within the time limit prescribed as per the order of the President contained in the Resolution, dated 30th December, 1988, of the Department of Official Language i.e. by the end of year 1991 (in the case of Ministry of Defence by 1994-95) (Since the year 1991 has passed, this target should invariably, be achieved during the year 1992). This recommendation of the Committee has been accepted.

Directions may, again, be issued in this regard by the Department of Official Language to all the Ministries/Departments /Offices etc. that special attention may be given to the time-limit stipulated for this work. All the Ministries/Departments may also be requested that they should distribute their up-dated respective codes, manuals, forms and other procedural literature to all their offices; get the amendments done in their respective procedural literature and a complete vigil be kept on this by making the Government Press as a check point for this purpose.

13. *Rubber Stamps, Name Plates, Sign-Boards, Headings and Letter-Heads, etc.*

The committee has recommended that all the offices of the Government of India, located in India or abroad, and the institutions receiving grants from the Central Government located in 'A' and 'B' regions should also ensure that their respective Name-plates, Rubber-stamps, Letter-heads, logos etc. be prepared in bilingual form and such institutions located in 'C' region should get these items prepared in trilingual

form. While getting these letter-heads, name-plates etc. prepared, it should be kept in mind that the size of letters of all the languages should be the same.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may again circulate the directions issued earlier in this regard and ensure their implementation.

14. *Medium of Training*

Reiterating the recommendations made in the third part of its report, regarding imparting training to the officers and employees of the Central Government through Hindi medium, the Committee has desired that these may be implemented immediately and the compliance of various Government orders and instructions issued in this respect may be ensured because sufficient facilities are now available in this regard.

This recommendations, as made in Part-III of the Report of the Committee, has already been accepted and the action under the Resolution of the Department of Official Language dated 4th November 1991 has already been initiated.

15. *Option of Hindi in Recruitment Examination*

The Committee has recommended that the compulsion of a question paper in English, in the recruitment examinations should be done away forth with and it may be ensured that the provisions made in the Resolution of the Parliament dated 18th January, 1968 should be solemnly adhered to and due regard should be paid to the spirit inherent in the provisions of the said Resolution.

This recommendation of the Committee has been accepted. However, the matter pertaining to abolishing the compulsion of a question paper in English in the recruitment examinations is to be decided in consultation with Union Public Service Commission as indicated in the Resolution of the Department of Official Language dated 4th November, 1991, on part-III of the Committee's report. In this regard, the Department of Official Language may inform all the Ministries/Departments/Offices etc as soon as a final decision is taken.

16. *Headings and Entries in the Registers and Service Books*

The committee has recommended that the headings of the registers available in all the Government offices and of the service books of all categories of officers and employees should be bilingual and the entries therein should be made in Hindi. Further, the badges/emblems etc. on the uniforms of all the Government officers and employees in all the regions should, invariably, be in Hindi also. The names to be carved on the uniforms should also be in both the languages i.e. Hindi and English. In addition, the addresses on the envelopes to be sent to regions 'A' and 'B' should, invariably, be written in Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted with partial modification. The entries in the registers/service books being maintained in the Central Government offices situated in regions 'A' and 'B' should be made in Hindi and such entries in the offices situated in region 'C' may, as far as possible, be made in Hindi. The instructions issued earlier in this regard by the Department of Official Language may be recirculated to all the Ministries/Departments/Offices etc. to ensure the implementation of these recommendations.

17. *Check-Points*

The Committee has recommended that according to the Rule 12 of the Official Language Rules, 1976, the administrative head of every office should solemnly adhere to the responsibility of framing the effective check-points to ensure due compliance of the provisions of the Official Languages Act, 1963 and the Rules framed thereunder and should set up the check points effectively. The Department of Official Language, may again, request the Ministries/Departments, in this regard, that they should ensure the check points to be active and effective in their offices.

18. *Bilingual Publications*

The Committee has recommended that the Ministries/Departments/Offices/Organisations etc. of the Government of India should not bring out publications in English alone but bilingually. The number of printed Hindi publications should not be, in any way, less than the English publications and in the bilingual publications, the number of pages of Hindi should not be less than the number of pages of English. Special steps may be taken by the Department of Official Language and all the concerned Ministries/Departments in this regard and new original publications may be brought out in Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may again request all Ministries/Departments/Offices in this regard so that this recommendation of the Committee may be fully implemented.

19. *Time-bound action on the Report of the Committee*

(a) The Committee has recommended that necessary action may be taken immediately on the recommendations made in all the four parts of their Report submitted by them so that proper and effective implementation of the Official Language Policy of the Union is ensured. The Committee has also recommended that the copies of the paragraphs relating to Ministry-wise review of the use of Hindi in the official work, done by this Committee may be forwarded immediately to the concerned offices etc. and directions be issued for follow up action.

The above recommendations of the committee have been accepted. In the perspective of the recommendations made by the committee in all the four parts of their Report, the Department of Official Language should request all the Ministries/Departments to strictly comply with the Resolutions/instructions issued by the Department of Official Language in this respect and make arrangements to assess the position from time to time.

(b) The Committee has reiterated its recommendations made in the second and third parts of its report that in the perspective of the unity and integrity of the country and responsibility and importance of the Department of Official Language thereto, the Government of India should reorganise the Department of Official Language, strengthening it further and give it the status of a full-fledged Ministry to ensure an effective and active implementation of the Official Language Policy of the Government of India in all its Ministries/Departments/Offices/Undertakings and Autonomous Bodies.

In view of the importance and purview of the Ministry of Home Affairs and its liaison with various State Govts. the Department of Official Language should continue to remain under Ministry of Home Affairs. Therefore, the above recommendations of the Committee has not been accepted. However, according to the recommendations of the Committee, the Deptt. of Official Language should be further strengthened and made more efficient.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be sent to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Office of the C & AG, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for the information of all concerned.

MAHENDRA NATH,
Jt. Secy

New Delhi-110001, the 4th February 1992

No. U-13019/2/89-GP.—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Committee of Union Territory of Dadra & Nagar Haveli associated with the Minister of Home Affairs for the years 1991-92 and 1992-93.

1. Shri Bhikhubhai Vansabhai Bhimra,
   Sarpanch Khanvel Group Gram Panchayat
2. Shri Rameshbhai Babubhai Patel,
   Sarpanch Silvassa.
3. Shri Natavarsinh Ramsinh Chauhan,
   Sarpanch Naroli

4 Smt. Shantiben Vestabhai Patel—Woman Member, Member of Group Gram Panchayat, Silvassa.

PARKASH CHANDER,
Director (CPS)

MINISTRY OF LABOUR

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 29th January 1992

RESOLUTION

No. A-43011 (37)/89-MS.—In continuation of Resolution of even number dated the 28th October, 1991 extending the validity of the Board of Awards for Import Substitution and Technology Development for a period of two years w.e.f. 15-3-1991, Government of India have decided to substitute the name of Shri Lakshman Mishra, Deputy Director General as a Member in place of Shri B. Bhanot, Industrial Adviser (at S. No. 16) with immediate effect. All the other members of the Board and the terms of reference will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN,
Director (Administration)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 27th January 1992

RESOLUTION

No. F.15-4/90-CH.1.—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Rules and Regulations of Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti, Bhopal, the Central Government hereby nominate Shri J. Swaminathan as honorary President of Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti with immediate effect. By virtue of Rule 18(b) (1) of the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti, Shri J. Swaminathan shall also be the Chairman of the Executive Council of Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti for a period of five years or till the termination of the Presidentship by the nominating authority whichever is earlier.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to the Director, Rashtriya Manav Sangrahalaya, P.B. No. 7, Tawa Housing Board Complex, Bhopal-462016 and that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. MISHRA
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1992.